न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/108/2022	2022/190	26.07.2022	27.06.2023

1. इमरती देवी पत्नी श्री मूला जाति बलाई निवासी चांदपुरी तहसील नारायणपुर जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सुवालाल गुर्जर पुत्र नन्छू गुर्जर,
2. जगदीश गुर्जर पुत्र नन्छू गुर्जर,
3. कमलेश पुत्र सुवालाल गुर्जर,
4. महेन्द्र पुत्र जगदीश गुर्जर निवासियान चांदपुरी तहसील नारायणपुर जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2022 तहसीलदार नारायणपुर प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—
01.श्री के.के. शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02.श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 17.06.2022 प्रकरण संख्या 01/2022 वाके ग्राम गडी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के यहॉ एक प्रार्थना पत्र बउनवानी इमरती देवी बनाम सुवालाल गुर्जर व अन्य अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खाता संख्या 598 में आराजी खसरा नं0 1109 रकबा 0.38 है0, 1110 रकबा 0.38 है0, 1111 रकबा 1.83 है0 वाके ग्राम गडी तहसील नारायणपुर में 1/3 हिस्से के गैरखातेदार प्रार्थीया व उसके पुत्र व पुत्रीयां है। ताईद में जमाबंदी की नकल संलग्न है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण अथवा किसी अन्य का कोई संबंध सरोकार किसी तरह का नहीं है। अपीलान्ट प्रार्थीया व उसके परिवार की जाति बलाई तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है। अप्रार्थीगण जाति से गुर्जर है। दिनांक 15.'02.2022 को सुबह 11 बजे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर आये और प्रार्थीया को जाति सूचक शब्द कहे व जाहिर किया गया कि उन्होने विवादित आराजी को श्यामलाल पुत्र जयराम से खरीद ली है, इसीलिए हम

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

इस आराजी पर कब्जा करेगें तथा प्रार्थीया के साथ हाथापाई व मारपीट करना शुरू कर दिया और उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया। उक्त घटना बावत प्रार्थीया ने सक्षम न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही भी करदी है। प्रार्थीया ने इसके बाद अप्रार्थीगण पर विवादित आराजी पर कब्जा वापिस प्रार्थीया को संभलवाने के लिए कई बार कहा किन्तु उन्होने 01.03.2022 को कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण ने जबरन अनाधिकृत रूप से प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला की उक्त आराजी पर कब्जा किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर विधिक प्रक्रिया अनुसार न तो सुनवाई कर न ही निर्णय पारित किया। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27.05.2022 को जवाब पेश किया गया। किन्तु आलोच्य निर्णय में न तो जवाब प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप करके अहम कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र का न्यायोचित तरीके से विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई का निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं करके तहत न्यायालय ने विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो काबिल खारिज है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.05.2001 का तथाकथित इकरारनामा पेश किया गया। जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा इकरारनामा के आधार पर कोई हक हकूक भी सृजित नहीं हो सकते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा तथाकथित इकरारनामा के द्वारा आराजी को क्रय करना कतई विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। किन्तु तहत न्यायालय ने इन तथ्यों पर कतई गौर नही किया। जिससे आलोच्य निर्णय काबिल खारिज है। विवादित आराजी की मिन अपीलान्ट 1/3 हिस्से की गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी कभी भी सिवायचक भूमि नही रही है, न ही इस तहर का कोई साक्ष्य तहत न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थी। इसीलिए आलोच्य निर्णय साक्ष्य के विपरीत व मनमाना होने के कारण काबिल खारिज है। रेस्पोडेन्ट वकील ने अपनी बहस मे कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण की विवादित आराजी कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलान्ट/प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नही रहा है बल्कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी मे आते है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.02.2022 की कथित घटना मनगढंत रूप से दर्ज की गई है। विवादित आराजी पर प्रार्थीया व उसके पति मूला का नाम गत बंदोबस्त संवत 2028 में सेटिलमेंट कर्मचारियों से मिलकर गैरखातेदारी का इंद्राज कराया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीया के पति मूलाराम को थी। राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने हेतु कहा तो उसने रूपयों की मांग की जिस पर अप्रार्थीगण ने विवाद से बचने के लिए तयशुदा रकम 95200/– रूपये मूला पुत्र जयराम को अदा करके 1/3 हिस्से सालिम 3 बीघा 8 बिस्वा का इकरारनामा दिनांक 17.05.2001 को मिन अप्रार्थी सुवालाल व जगदीश पुत्रान नन्छू ने अपने पक्ष में करवा लिया। रेस्पोडेन्ट का गत करीब 60 सालों से कब्जा चला आ रहा है। बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व उक्त आराजी दीगर खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी परन्तु अपीलान्ट/प्रार्थीया के पति मूला ने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम गैरखातेदारी दर्ज कर वाली है। अपीलान्ट के पति को उक्त विवादित आराजी न तो कभी आवंटन हुई और न ही विधि अनुसार उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में आया है। विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार पटवारी हल्का व आईएलआर से मौके की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.04.2022 पेश की जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि उपस्थिति व्यक्तियों के बताये अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 1109 व 1110 पर लगभग 25–30 वर्ष पूर्व से सुवालाल व जगदीश पुत्रान नन्छूराम कौम गुर्जर का कब्जा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2022 की जानकारी पूर्व में नही हो सकी जिसकी जानकारी प्रार्थीया को 19.07.2022 को हुई। प्रार्थीया अपीलान्ट ने वकील साहब से सम्पर्क कीया तो उन्होने बताया कि अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश होगा। जो देरी अपील पेश करने में हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है। नेकनियती व परिस्थितियों पर आधारित होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टातों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

न्यायालय द्वारा अपील व उभयपक्ष वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं चितंन मनन किया गया। जमाबंदी सवंत 2073–76 व पटवारी हल्का रिपोर्ट में विवादित आराजी खसरा नं0 1109 रकबा 0.38 है0, 1110 रकवा 0.38 है0, 1111 रकबा 1.83 है0 वाके ग्राम घडी अपीलान्ट इमरती पत्नी मूला हिस्सा 1/18 हिस्सा सा.देह गैरखातेदार मू0 मिसल बंदोबस्त 2028 व उर्मिला पुत्री मूला हिस्सा 1/18 जाति बलाई सा.देह गैरखातेदार, ओमप्रकाश पुत्र मूला हिस्सा 1/18 जाति बलाई सा.देह गैरखातेदार, केला पुत्री मूला हिस्सा 1/18 जाति बलाई सा.देह गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्ट भूमि पर गैरखातेदारी के रूप में अधिकार उत्पन्न एवं तय नही होने के कारण धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही VOID AB INTIO (प्रारम्भ से ही शुन्य) मानी जावे। रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटी दर्शित होना बताया गया तो रेस्पोडेन्ट को उक्त लिपिकीय त्रुटी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। अपीलान्ट की जाति बलाई है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है और वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी लागू होना पाया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 17.05.2001 का तथाकथित इकरारनामा से उक्त आराजी के हकहकूक तय नहीं होते हैं। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 17.06.2022 को अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनॉक 17.06.2022 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)